

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/स्था./94/10/2129

भोपाल, दिनांक 14-12-2016

// आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में विषयमान से व्याख्याता के रिक्त पद पर (प्रशासनिक आधारपर) तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

सं. क्र.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानान्तरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री आर.एस. भदोरिया (गणित)	अप्राप्त	प्रभारी जिला प्रौढ शिक्षा अधिकारी छतरपुर	अप्राप्त	शास्त्रवाउमा वि. विजावर जिला छतरपुर	2309037770

20/12

आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक 14-12-2016

क्रमांक/स्था.2/सी/स्था./94/10/2125
भोपाल

1. निज सहायक नाम सत्रोजी स्कूल शिक्षा/राज्य सत्रोजी स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख संचालक मध्य प्रदेश शास्त्र, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त राज्य शिक्षा कन्द्र म.प्र. भोपाल
4. जिला शिक्षा अधिकारी जिला छतरपुर।
5. मुख्य वृत्तपालक अधिकारी जिला प्रजातंत्र जिला छतरपुर।
6. संचालक राज्य लोक सेवा आयोग शिक्षण नगरीय कार्यालय समार।
7. जिला कार्यालय अधिकारी जिला छतरपुर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर। म.प्र. की ओर अग्रहित कर निर्देशित किया गया है कि उक्त व्याख्याता का कार्यभार करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर ली जाए कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में संचालित है एवं स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता के स्थानान्तरण संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, एका रूप से गणित होने पर ही संचालित को एक सप्ताह में कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय जिला प्रौढ शिक्षा अधिकारी जिला छतरपुर।
10. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

20/12

आयुक्त,

लोक शिक्षण म.प्र.